कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, **भारत सरकार**)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour & Employment, **Govt. of India**)

क्षेत्रीय कार्यालय/ REGIONAL OFFICE
107, राम नगर रोड, कोटा, रायपुर- 492010
107, RAM NAGAR ROAD, KOTA, RAIPUR-492010
Phone : 0771-2254589, Email : rd-cgarh@esic.nic.in
Website- www.esic.nic.in/ www.esic.in

फाइल सं.- छ.ग./59/पी/11/12/विविध/2019-व्याप्ति

दिनांक : 30.01.2023

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी / नगर पालिक आयुक्त / मुख्य कार्यपालन अधिकारी
नगर निगम / नगर पालिका / नगरपालिक परिषद / शहरी स्थानीय निकाय

पूर्ण रूप से व्याप्त जिले : बलोदा बाज़ार, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, धमतरी, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर- चांपा, गरियाबंद, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही

आंशिक रूप से व्याप्त जिले (जिला मुख्यालय के नगरपालिक सीमा में व्याप्त) : बालोद, बलरामपुर, बस्तर, बेमेतरा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, कबीरधाम, कांकेर, कोंडागांव, कोरिया, महासमुंद, मुंगेली, नारायणपुर, सुकमा, सूरजपुर, सरगुजा

विषय- छत्तीसगढ़ राज्य में नगर निगमों/ नगरपालिक परिषदों/ नगर पालिकाओं/ शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत नियोजित अनियत/ संविदा श्रमिकों/ कर्मचारियों की क.रा.बी. अधिनियम 1948 की धारा (1) की उप धारा (5) के तहत व्याप्ति के विस्तार के संबंध में ।

महोदय,

छत्तीसगढ़ सरकार (श्रम विभाग) ने छत्तीसगढ़ राज्य के राजपत्र दिनांक 02.12.2022 (प्रति संलग्न) में प्रकाशित अधिसूचना संख्या- 2834/571/2019/16 के तहत कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 की धारा 1(5) के प्रावधानों को सभी नगर निगमों/ नगरपालिक परिषदों/ नगर पालिकाओं/ शहरी स्थानीय निकायों के तहत काम करने वाले संविदात्मक और अनियत कर्मचारियों के लिए बढ़ा दिया है ।

ये प्रावधान उपर्युक्त उन सभी निकायों/ प्राधिकरणों पर लागू होते हैं जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं और प्रतिमाह 21000 रुपये या उससे कम वेतन प्राप्त कर रहे हैं ।

उल्लेखनीय है कि, कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक बहुआयामी सामाजिक सुरक्षा योजना है जो स्वयं बीमितों को और उनके आश्रित परिवार को चिकित्सा देखभाल, बीमारी हितलाभ, मातृत्व हितलाभ, अपंगता हितलाभ, आश्रित हितलाभ, बेरोजगारी हितलाभ आदि के रूप में व्यापक हितलाभ प्रदान करती है। (प्रतिलिपि संलग्न)

अतः नगर निकायों को सलाह दी जाती है कि वे वेबसाइट/ लिंक shram suvidha portal या www.esic.gov.in पर तत्काल ऑनलाइन पंजीकरण करके ईएसआईसी कोड नंबर प्राप्त करें ।

साथ ही नगर निकायों के अधीन कार्यरत ठेकेदारों को भी सलाह दें कि यदि उन्होंने अभी तक ईएसआईसी कोड नम्बर प्राप्त नहीं किया है तो तत्काल प्राप्त कर लें । कृपया ऐसे सभी ठेकेदारों की सूची, कोड संख्या सहित इस कार्यालय को सूचना एवं आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए उपलब्ध करायी जाए।

नगर निकायों को, मुख्य नियोजक होने के नाते, यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके अधीन सभी ठेकेदारों और कर्मचारियों को योजना के तहत पंजीकृत किया गया है और अधिनियम के तहत आवश्यक अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । नगर निकायों द्वारा ऐसे श्रमिकों के संबंध में स्वयं अनुपालन किया जाए जो उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नियोजित हैं ।

नगर निकाय कृपया यह भी ध्यान दें कि क.रा.बी. अधिनियम की धारा 40 के अनुसार, मुख्य नियोजक दोनों नियोजकों अर्थात, प्रमुख नियोजक के साथ-साथ आसन्न नियोजकों के संबंध में भी अंशदान के भुगतान के लिए जिम्मेदार है ।

कृपया योजना और इसके प्रावधानों के बारे में अधिक जानकारी के लिए क.रा.बी. निगम की वेबसाइट www.esic.gov.in देखने का कष्ट करें।

किसी प्रकार के और स्पष्टीकरण हेतु कृपया निम्नलिखित ईमेल आईडी पर संपर्क करें-

rd-cgarh@esic.nic.in
satyanand.vikas@esic.nic.in
मोबाइल नंबर- 7405543954

संलग्न: -

1. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति ।
2. क.रा.बी. योजना की संक्षिप्त जानकारी ।

भवदीय

30/1/22.

क्षेत्रीय निदेशक (प्रभारी)

प्रतिलिपि,

1. संचालक, क.रा.बी. सेवाएँ, इंद्रावती भवन, ब्लॉक- सी, द्वितीय तल, नया रायपुर ।
2. संचालक, शहरी प्रशासन एवं विकास विभाग, इंद्रावती भवन, ब्लॉक- डी, चतुर्थ तल, नया रायपुर ।

क.रा.बी.नि.
E.S.I.C.
कर्मचारी राज्य बीमा निगम
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION
(Ministry of Labour& Employment, Govt. of India)

सत्यमेव जयते

क्षेत्रीय कार्यालय, 107, राम नगर रोड, कोटा, रायपुर (छत्तीसगढ़) - 492010
REGIONAL OFFICE, 107, RAM NAGAR ROAD, KOTA, RAIPUR (CHHATTISGARH)-492010
Phone:0771-2254589,
Email: rd-cgarh@esic.nic.in
Website: www.esic.nic.in / www.esic.in

No.CG/59/P/11/12/Misc./2019-Coverage

Date.30-01-2023

To,

Municipal Commissioner/ Chief Municipal Officer/CEO,

Municipal Corporation/Municipality/Municipal Council/Nagar Palika/

Urban local bodies

(**Fully implemented Districts:** Baloda bazaar, Raipur, Durg, Bilaspur, Rajnandgaon, Dhamtari, Raigarh, Korba, Janjgir-Champa, Gariaband, Gaurela-Pendra-Marwahi **Partially implemented Districts (Implemented within municipal limits of district headquarters):** Balod, Balrampur, Bastar, Bemetara, Bijapur, Dantewada, Jashpur, Kabirdham, Kanker, Kondagaon, Koriya, Mahasamund, Mungeli, Narayanpur, Sukma, Surajpur, Surguja.

Subject: Extension of Coverage to casual/contractual workers/ employees under Municipal Corporation/ Municipal Councils/ Nagar Palika/ Urban Local Bodies in the state of Chhattisgarh under Sub section (5) of Section (1) of the ESI Act, 1948- Reg.

Sir,

The Govt. of Chhattisgarh (Department of Labour) vide notification no. 2834/ 571/2019/16 published in the Chhattisgarh state Gazette dated 02.12.2022 (copy enclosed) has extended the provisions of Section 1(5) of the ESI Act, 1948 to all contractual and casual workers working under the Municipal Corporations/ Municipal Councils/ Nagar Palika/ Urban local bodies.

The provisions are applicable to all bodies/ authorities as mentioned above wherein ten or more employees are employed and are drawing wages upto Rs. 21,000/- or less per month.

ESI Scheme, it may be noted, is a multi dimensional social security scheme which provides comprehensive benefits in the form of medical care to self and family, sickness benefits, maternity benefits, disablement benefits, dependent benefits, unemployment benefits etc (copy enclosed).

The municipal bodies are thus advised to immediately obtain ESIC Code no. by registering online on the website/ link www.esic.in / www.shramsuvidha.gov.in

The contractors working under the Municipal Bodies may also be advised to obtain code no. immediately, if not already obtained. A list of all such contractors with code no. may also be provided to this office for information and further necessary action.

Municipal bodies, being principal employers are required to ensure that all the contractors and employees under them are registered under the scheme and further ensure their compliance as required under the Act. The municipal bodies must also comply themselves in respect of such workers who are directly employed by them.

The municipal bodies may also please note that as per Section 40 of the ESI Act, the principal employer is responsible for payment of contribution in respect of both the principal employer as well as immediate employers.

The ESIC website www.esic.gov.in may please be seen for further details regarding the scheme and its provisions.

In case of any further clarification, communications may please be sent on the following e-mail Ids:

rd-cgarh@esic.nic.in
satyanand.vikas@esic.nic.in
(Contact: 7405543954)

Encl: 1. Copy of notification by Govt. of C.G.
2. Brief about the Scheme.

Yours faithfully,

Regional Director (I/c)

Copy to: 1. Director ESIS, Indravati Bhawan, Block C, 2nd floor, Naya Raipur.
2. Director, Department of Urban Administration & Development, Indravati Bhawan Block D, 4th floor, Naya Raipur.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 697] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 दिसम्बर 2022 — अग्रहायण 11, शक 1944

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 15 नवम्बर 2022

अधिसूचना

क्रमांक 2834 / 571 / 2019 / 16.— कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 34) की धारा 1 की उप–धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के परामर्श से तथा पत्र क्र. S–38025 / 07 / 2022–SS–1, दिनांक 09–06–2021, के द्वारा केन्द्र सरकार के अनुमोदन से, एतद्द्वारा, इसमें अनुलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट स्थापनाओं के वर्ग में, अधिनियम के उपबंधों का विस्तार करती हैं, अर्थात्:–

अनुसूची

स्थापनाओं का विवरण	क्षेत्र, जिसमें स्थापना स्थित है
(1)	(2)
नगरीय निकाय, जिनमें राज्य सरकार द्वारा संचालित नगरपालिक निगम, नगरपालिक परिषद, नगरपालिका तथा अन्य नगरीय स्थानीय निकाय शामिल है, जिसमें आकस्मिक अथवा संविदात्मक या दोनों आधार पर, पिछले बारह महिने में किसी दिन, मजदूरी पर दस या अधिक व्यक्ति नियोजित रहे हैं या नियोजित किये गये थे।	वे सभी क्षेत्र, जहां अधिनियम की धारा 1 की उप–धारा (3) के अधीन कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का सं. 34) के उपबंध पहले ही लागू किये जा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष पाण्डेय, उप–सचिव.

अटल नगर, दिनांक 15 नवम्बर 2022

क्रमांक 2834 / 571 / 2019 / 16.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2834 / 571 / 2019 / 16, दिनांक 15–11–2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल महोदय के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशुतोष पाण्डेय, उप–सचिव.

Atal Nagar, the 15th November 2022

NOTIFICATION

No. 2834/571/2019/16.— In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (No. 34 of 1948), the State Government, in consultation with the Employees' State Insurance Corporation and with the approval of the Central Government vide letter No. S-38025/07/2020-SS-1, dated 09-06-2021, hereby, extends the provisions of the Act to the class of establishments specified in the Schedule annexed hereto, namely:-

SCHEDULE

Description of Establishments	Areas in which the establishments are situated
(1)	(2)
Municipal bodies including Municipal Corporation, Municipal Counsels, Nagar Palika and Other Urban Local Bodies run by the State Government wherein ten or more persons on casual or contractual or both, basis are employed, or were employed for wages on any day of the preceding twelve months.	All areas where provisions of the Employees' State Insurance Act, 1948 (No. 34 of 1948) have already been brought into force under sub-section (3) of Section 1 of the Act.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ASHUTOSH PANDEY, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2022.

ESIC AT A GLANCE

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
Ministry of Labour & Employment
भारत सरकार (Government of India)

कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

ESI Scheme - An introduction

The Employees' State Insurance Sceme is an integrated measure of Social Insurance embodied in the Employees' State Insurance Act and is designed to accomplish the task of protecting 'employees' as defined in the Employees' State Insurance Act, 1948 against the impact of contingencies of sickness, maternity, disablement and death due to employment injury and to provide medical care to insured persons and their families. The ESI Scheme applies to factories and other establishments viz. more Road Transport, Hotels, Restaurants, Cinemas, Newspaper, Shops, and Educational / Medical Institutions, etc., wherein 10 or more persons are employed. However, in some States threshold limit for coverage of establishments is still 20. Employees of the aforesaid categories of factories and establishments, drawing wages upto ₹ 21,000/- a month, are entitled to social security cover under the ESI Act.

The ESI Scheme is financed by contributions from employers and employees. The rate of contribution by employer is 3.25% of the wages payable to employees. The employees' contribution is at the rate of 0.75% of the wages payable to him/her. Employees, earning upto ₹176/- a day as daily wages, are exempted from payment of their share of contribution.

The main benefits provided under ESI Scheme are Sickness Benefit, Disablement Benefit, Dependants Benefit Maternity Benefit and Medical Benefit. Besides, other benefits being provided to beneficiaries are Unemployment Allowance (RGSKY), Confinement Expenses, Funeral Expenses, Vocation Rehabilitation, Skill upgradation training and Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana (ABVKY).

Coverage

In the beginning, the ESI Scheme was implemented at just two industrial centres in the country in 1952, namely Kanpur and Delhi. There was no looking back since then in terms of its geographic reach and demographic coverage. Keeping pace with the progress of industrialization, ESI Scheme stands implemented in 566 districts in 34 states and Union Territories of the country. As on 31.03.2021, the Act applies to over 14.82 lakhs factories and establishments across the country, benefiting over 3.39 crores Insured Persons/family units. The total beneficiaries stands at over 13.16 crores.

Infrastructure

Ever since its inception in 1952, the infrastructural network of the Scheme has kept expanding to meet the social security requirements of an ever increasing worker population. ESI Corporation has so far set up 161 hospitals (ESIC Hospitals 51 & ESIS Hospitals 110) for inpatient services. Primary and out-patient medical services are provided through a network of about 1502/329 ESI Dispensaries/AYUSH units, and 980 Panel Clinics. In order to provide primary medical services and cash benefits at one place, the corporation is opening Dispensary-cum-Branch Offices (DCBO).

The Corporation has also set up five Occupational Disease Centres, one each at Mumbai (Maharashtra), New Delhi, Kolkata (W.B.), Chennai (T.N.) and Indore (M.P.) for early detection and treatment of occupational diseases prevalent amongst workers employed in hazardous industries.

For payment of Cash Benefits, the Corporation operates through a network of over 592 Offices, whose functioning is supervised by 64 Regional/Sub-Regional Offices.

ESIC- A Complete Social Security Organisation for India's Workforce

The ILO defines Social Security as "the security that society furnishes through appropriate organization against certain risks to which its members are perennially exposed. These risks are essentially contingencies against which an individual of small means cannot effectively provide by his own ability or foresight alone or even in private combination with his fellows. The mechanics of social security, therefore, consists in counteracting the blind injustice of nature and economic activities by rational planned justice with a touch of benevolence to temper it."

The ESIC is the only Social Security Organisation in the country which covers most of the exigencies (provided in the list of ILO) which are sickness, medical care for the worker, maternity, unemployment, work injury, death of worker, invalidity and widowhood.

The ESI Scheme is based on the Gandhian principle of "contributions as per their ability and benefits as per the requirement". This principle entitles an insured person who is from the lower wage bracket of the society for a huge line up of benefits by paying the contribution as per the wages he/she is earning.

Each social security payments made under the ESI Scheme helps the insured person without putting and extra burden on his/her savings or earnings, during emergent medical and other contingencies. The benefits being provided by the ESI Scheme are:-

- **Medical Benefit:** ESIC provides proper medical care to insured persons and their dependent family members from the day of joining insurable employment. The Range of medical services being provided covers preventive, promotive, curative and rehabilitative services. For this, the insured has to be treated by showing his identity in ESI Dispensary and in hospitals.
- **Sickness Benefit:** Payment of illness benefit is given to the insured person at the rate of 70 percent of average daily wages for 91 days in two consecutive beneficial periods. A minimum contribution of 78 days should have been paid.
- **Maternity Benefit:** Paid upto 26 weeks in case of confinement. Upto 6 weeks in case of miscarriage. Extendable by 1 month on medical advice in case of sickness arising out of Pregnancy, Confinement, Miscarriage subject to payment of contribution of 70 days in two preceding contribution periods.
- **Disablement Benefit:** Disability benefit is given to the insured person, due to injury. In cases of temporary disability and full permanent disability, the average daily wage is paid at the rate of 90 percent and in the case of permanent partial disability it is given in proportion to the loss incurred in the ability to earn profit.
- **Dependants' Benefit:** On the death of the insured due to employment injury, the payment given at the rate of 90 percent of the average daily wages is shared between the dependants in the fixed proportion. This benefit is given to the widow of an insured person for lifelong or remarriage, till the completion of the age of 25 years for son, till the daughter is married.
- **Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana (ABVKY):** In case of unemployment, cash compensation is paid to the IP. For this, the contribution of at least 78 days in one completed contribution period should be paid by the insured person in 12 months immediate period to unemployment.
- **Old Age Medical Care:** After being retired for minimum period of 05 years, after retirement age is completed or by taking retirement under the voluntary retirement plan or pre-retirement, the insured person and his/her spouse will be allowed to leave the insurer. Older medical care is provided in the hospitals and dispensaries.
- **Vocational Rehabilitation Allowance:** Disablement doesn't mean complete loss of skill. Payment of actual fee charged or ₹123/- per day in case of disablement due to employment injury.
- **Rehabilitation Allowance:** Injury during employment doesn't mean loss of daily livelihood. 100% of average daily wages in case of physical disablement due to employment injury as long as the person is admitted in an artificial limb center for fixation/ repair or replacement of artificial limb.
- **Other Benefits Confinement Expenses:** ₹ 7500/- per confinement where ESI medical facilities are not available.
- **Funeral Expenses:** Actual expenses subject to a maximum of ₹15,000/- in cash for funeral of deceased IP.

Brief description of Benefits, Contributory Conditions, Duration of Benefits and the Scale of Benefits

Benefit	Contributory Condition	Duration	Rate
SICKNESS BENEFIT			
Sickness Benefit	Payment of contribution for 78 days in corresponding contribution period.	Upto 91 days in two consecutive benefits periods.	70% of the average daily wages.
Enhanced Sickness Benefit	Same as Above	14 days for Tubectomy and 7 days for Vasectomy, extendable on medical advice	100% of the average wages.
Extended Sickness Benefit	For 34 specified long term diseases, continuous insurable employment for two years with the minimum 156 days' contribution in four consecutive contribution periods.	124 days during a period of two years. This may be extended upto two years on medical advice.	80% of the average daily wages.

Benefit	Contributory Condition	Duration	Rate
DISABLEMENT BENEFIT			
Temporary Disablement Benefit	From day one of entering insurable employment for disablement due to employment injury.	As long as temporary disablement lasts.	90% of the average daily wages appprox.
Permanent Disablement Benefit	From day one of entering insurable employment for disablement due to employment injury.	For whole life.	90% of average daily wages.
Dependants' Benefit	From day one of entering insurable employment, paid for death due to employment injury.	For life to the widow or until her re-marriage, and to dependant son till the age of 25 years, till marriage of daughter and to dependant parents etc. Subject to conditions.	90% of average daily wages shareable in fixed proportion among all dependants.
Maternity Benefit	Payment of contribution of 70 days in two preceding contribution periods.	Upto 26 weeks in case of confinement. Upto 6 weeks in case of miscarriage. Extendable by 1 month on medical advice in case of sickness arising out of Pregnancy, Confinement, Miscarriage.	100% of the average daily wages.
Medical Benefit	Reasonable medical facilities for self and family from day one of entering insurable employment.	Reasonable medical care till he/she remains in insurable employment.	
OTHER BENEFITS			
Unemployment Allowance (RGSKY)	In case of involuntarily loss of employment due to closure of factory, retrenchment or permanent invalidity due to non-employment injury and the contribution in respect of him have been paid/payable for a minimum of two years prior to the loss of employment.	Maximum 24 months during life time.	50% of the average daily wages for the first 12 months and thereafter, 25% for last 12 months.
Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana	In case of unemployment, cash compensation is paid to the IP subject to one year of Service completed by IP and contribution for not less than 78 days in one contribution period in 12 months immediately preceding to unemployment.	90 days	50% of the average daily earning
Confinement Expenses	An insured Woman or an I.P. in respect of his wife is eligible if confinement occurs at a place where necessary medical facilities under EI scheme are not available.	Up to two confinements only.	₹ 7,500/- per case
Funeral Expenses	From day one of inferring insurable employment	For defraying expenses on the funeral of an insured person.	Actual expenses subject to a maximum of ₹ 15,000/-
Vocational Training	In case of physical disablement due to employment injury.	As long as vocational training last.	Actual fee charged or ₹ 123/- a day, whichever is higher.
Physical Rehabilitation	In case of physical disablement due to employment injury.	As long as person is admitted in an artificial limb centre.	100% of the average daily wages.
Skill Upgradation Training	Same as above.	For a duration of maximum 6 months.	

लाभ	अंशदान स्थिति	अवधि	दर
विकलांगता लाभ			
अस्थायी अपंगता हितलाभ	रोजगार की चोट के कारण अपंगता के लिए बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से।	जब तक अस्थायी अक्षमता बनी रहती है।	औसत दैनिक मजदूरी का लगभग 90 प्रतिशत
स्थायी अपंगता हितलाभ	रोजगार की चोट के कारण अपंगता के लिए बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से।	आजीवन	औसत दैनिक वेतन का 90 प्रतिशत या जैसा कि मेडिकल बोर्ड द्वारा तय किया गया है।
आश्रितजन हितलाभ	बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से, रोजगार की चोट के कारण मृत्यु के लिए भुगतान किया गया।	विधवा को आजीवन या उसके पुनर्विवाह तक, आश्रित पुत्र को 25 वर्ष की आयु तक, पुत्री के विवाह तक और आश्रित माता–पिता आदि को शर्तों के अधीन।	औसत दैनिक मजदूरी का 90 प्रतिशत सभी आश्रितों के बीच निश्चित अनुपात में बांटने योग्य।
मातृत्व हितलाभ	दो पूर्ववर्ती अंशदान अवधियों में 70 दिनों के अंशदान का भुगतान।	प्रसूति के मामले में 26 सप्ताह तक। गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक। गर्भावस्था, प्रसूति, गर्भपात के कारण होने वाली बीमारी के मामले में चिकित्सा सलाह पर 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है।	औसत दैनिक वेतन का 100 प्रतिशत
चिकित्सा हितलाभ	बीमा योग्य रोजगार में प्रवेश करने के पहले दिन से ही स्वयं और परिवार के लिए उचित चिकित्सा सुविधाएं।	उचित चिकित्सा देखभाल, जब तक वह बीमा योग्य रोजगार में रहता है।	
अन्य लाभ			
बेरोजगारी भत्ता (आरजीएसकेवाई)	कारखाने के बंद होने के कारण अनैच्छिक रूप से रोजगार के नुकसान के मामले में, गैर–रोजगार चोट के कारण छंटनी या स्थायी अक्षमता के मामले में दिया जाता है यदि उस व्यक्ति के लिए पूर्ववर्ती 2 वर्ष का अंशदान दिया गया हो या देय हो और उसके संबंध में योगदान का भुगतान / भुगतान रोजगार के नुकसान से कम से कम दो साल पहले किया जाता है।	जीवन काल के दौरान अधिकतम 24 महीने।	पहले 12 महीनों के लिए औसत दैनिक वेतन का 50 प्रतिशत और उसके बाद के 12 महीनों के लिए 25 प्रतिशत
प्रसूति व्यय	बीमित महिला या बीमित व्यक्ति की पत्नी पात्र है यदि प्रसूति उस स्थान पर होती है जहां ईएसआई योजना के अंतर्गत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं हैं।	केवल दो प्रसूति तक।	रुपये 7,500/– प्रति केस
अंत्येष्टि व्यय	बीमा योग्य रोजगार का प्रवेश करने के पहले दिन से	बीमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार पर होने वाले खर्च को चुकाने के लिए।	वास्तविक व्यय अधिकतम रु. 15,000/– के अधीन
व्यावसायिक पुनर्गठन	रोजगार की चोट के कारण शारीरिक अक्षमता के मामले में।	जब तक व्यावसायिक प्रशिक्षण चलता है।	वास्तविक शुल्क या 123/– रुपये प्रतिदिन, जो भी अधिक हो।
पुनर्वास भत्ता	रोजगार की चोट के कारण शारीरिक अक्षमता के मामले में।	जब तक व्यक्ति कृत्रिम अंग केंद्र में भर्ती रहता है।	औसत दैनिक वेतन का 100 प्रतिशत
कौशल विकास प्रशिक्षण	उपरोक्त की तरह	अधिकतम 6 महीने की अवधि के लिए।	

पंचदीप भवन, सीआईजी मार्ग, नई दिल्ली–110002
www.esic.nic.in, www.esic.in esichq esichq
टोल फ्री नं. 1800 11 25 26

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ईएसआईसी - एक नज़र में

सत्यमेव जयते
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
भारत सरकार

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

ईएसआईसी एक नज़र में

कर्मचारी राज्य बीमा योजना कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में सन्निहित सामाजिक बीमा का एक एकीकृत उपाय है और इसे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 में परिभाषित कर्मचारियों को बीमारी, प्रसूति, विकलांगता और रोजगार की चोट के कारण मृत्यु की आकस्मिकता के प्रभाव के खिलाफ और बीमित व्यक्तियों और उनके परिवारों को चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए बनाया गया है। ईएसआई योजना कारखानों और अन्य प्रतिष्ठानों जैसे कि सड़क परिवहन, होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा, समाचार पत्र, दुकानों, और शैक्षिक / चिकित्सा संस्थानों आदि पर लागू होती है, जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति कार्यरत हैं। हालांकि, कुछ राज्यों में प्रतिष्ठानों के कवरेज की सीमा अभी भी 20 है। उक्त श्रेणियों के कारखानों और प्रतिष्ठानों के कर्मचारी, जो प्रति माह 21,000/– रुपये तक का वेतन प्राप्त करते हैं, वे ईएसआई अधिनियम के तहत सामाजिक सुरक्षा कवर के हकदार हैं।

ईएसआई योजना को नियोक्ताओं और कर्मचारियों के योगदान से वित्तपोषित किया जाता है। नियोक्ता द्वारा योगदान की दर कर्मचारियों को देय वेतन का 3.25 प्रतिशत होता है। कर्मचारियों का अंशदान उसे मिलने वाले वेतन के 0.75 प्रतिशत की दर से है। दैनिक वेतन के रूप में प्रति दिन 176/– रुपये तक कमाने वाले कर्मचारियों को उनके हिस्से के योगदान के भुगतान से छूट दी गई है।

ईएसआई योजना के तहत प्रदान किए जाने वाले मुख्य लाभ बीमारी के लाभ, विकलांगता के लाभ, आश्रितों के लाभ, मातृत्व के लाभ और चिकित्सा लाभ हैं। इसके अलावा, लाभार्थियों को प्रदान किए जा रहे अन्य लाभ बेरोजगारी भत्ता (आरजीएसकेवाई), कारावास व्यय, अंतिम संस्कार व्यय, व्यावसायिक पुनर्वास और कौशल उन्नयन प्रशिक्षण हैं।

कवरेज

शुरुआत में, ईएसआई योजना 1952 में देश के सिर्फ दो औद्योगिक केंद्रों, कानपुर और दिल्ली में लागू की गई थी। इसके बाद से इसने भौगोलिक पहुंच और जनसांख्यिकीय कवरेज के मामले में पीछे मुड़कर नहीं देखा। औद्योगीकरण की प्रगति के साथ तालमेल रखते हुए, ईएसआई योजना देश के 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 596 जिलों में लागू की गई है। यह अधिनियम देश भर में 14.82 लाख से अधिक कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है; जिससे 3.39 करोड़ से अधिक बीमित व्यक्तियों/पारिवारिक इकाइयों को लाभ मिल रहा है। कुल लाभार्थियों की संख्या 13.16 करोड़ से अधिक है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर

1952 में अपनी स्थापना के बाद से, इस योजना का इन्फ्रास्ट्रक्चरल नेटवर्क लगातार बढ़ती श्रमिक आबादी की सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विस्तार करता रहा है। ईएसआई कॉर्पोरेशन ने अब तक इनपेशेंट सेवाओं के लिए 160 अस्पतालों की स्थापना की है। लगभग 1502/350 ईएसआई औषधालयों/आयुष इकाइयों और 1003 पैनल क्लीनिकों के नेटवर्क के माध्यम से प्राथमिक और बाह्य रोगी चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती हैं। प्राथमिक चिकित्सा सेवाएं और नकद लाभ एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए, निगम डिस्पेंसरी–सह–शाखा कार्यालय (डीसीबीओ) खोल रहा है। निगम ने मुंबई (महाराष्ट्र), नई दिल्ली, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), चेन्नई (तमिलनाडु), अलवर (राजस्थान), बिहता (पटना) और इंदौर (मध्य प्रदेश) में सात व्यावसायिक रोग केंद्र भी स्थापित किए हैं जो जोखिम वाले उद्योग में कार्यरत श्रमिकों में प्रचलित व्यावसायिक रोगों का शीघ्र पता लगाते और उनका उपचार करते हैं।

इनके अलावा, ईएसआईसी द्वारा 8 मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, 2 डेंटल कॉलेज, 2 नर्सिंग कॉलेज और एक पैरा–मेडिकल कॉलेज भी देश भर में चलाए जा रहे हैं।

नकद लाभों के भुगतान के लिए, निगम 607 से अधिक शाखा कार्यालयों के नेटवर्क के माध्यम से संचालित होता है, जिसके कामकाज की निगरानी 64 क्षेत्रीय/उप–क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है।

ईएसआईसी – भारत के कार्यबल के लिए एक पूर्ण सामाजिक सुरक्षा संगठन

आईएलओ सामाजिक सुरक्षा नित्य जोखिमें के विरुद्ध उस सुरक्षा के रूप में परिभाषित करता है जो समाज उपयुक्त संगठन के माध्यत से उपलब्ध कराता है जो समाज कुछ जोखिमों के खिलाफ उपयुक्त संगठन के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिसके लिए इसके सदस्य बारहमासी रूप से उजागर होते हैं। ये जोखिम अनिवार्य रूप से आकस्मिकताएं हैं जिनके खिलाफ छोटे साधनों का व्यक्ति अपनी क्षमता या दूरदर्शिता से अकेले या अपने साथियों के साथ निजी संयोजन में भी प्रभावी ढंग से नहीं निपटा सकता है। इसलिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र प्रकृतिक और आर्थिक गतिविधियों के अन्याय का तर्कसंगत नियोजित न्याय तथा उदारता के स्पर्श द्वारा नियंत्रित करता है

ईएसआईसी देश का एकमात्र सामाजिक सुरक्षा संगठन है जो आईएलओ की सूची में प्रदान किए गए अधिकांश आकस्मिताओं जैसे कि बीमारी, कामगार के लिए चिकित्सा देखभाल, मातृत्व, बेरोजगारी, काम पर लगी चोट; कामगार की मृत्यु, अशक्तता और वैधव्य के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता हैं।

ईएसआई योजना "उनकी क्षमता के अनुसार योगदान और आवश्यकता के अनुसार लाभ" के गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। यह सिद्धांत एक बीमित कर्मचारी, जो समाज के निचले वेतन वर्ग से है, को मजदूरी के अनुसार योगदान कर लाभों की एक बड़ी श्रृंखला के लिए हकदार बनाता है

ईएसआई योजना के तहत किया गया प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा भुगतान बीमित कर्मचारी को आपातकालीन चिकित्सा और अन्य आकस्मिकताओं के दौरान उसकी बचत या कमाई पर कोई अतिरिक्त बोझ डाले बिना मदद करता है। ईएसआई योजना द्वारा प्रदान किए जा रहे लाभ इस प्रकार हैं:–

- **चिकित्सा हितलाभ:** ईएसआईसी बीमा योग्य रोजगार में शामिल होने के दिन से बीमित व्यक्तियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को उचित चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। प्रदान की जा रही चिकित्सा सेवाओं की श्रेणी में निवारक, प्रोत्साहक, उपचारात्मक और पुनर्वास सेवाएं शामिल हैं। इसके लिए बीमाधारक को ईएसआई डिस्पेंसरी और अस्पतालों में अपनी पहचान दिखाकर इलाज कराना होता है।
- **बीमारी हितलाभ :** बीमारी हितलाभ का भुगतान बीमित व्यक्ति को 91 दिनों के लिए औसत दैनिक मजदूरी के 70 प्रतिशत की दर से दो लगातार अवधियों में दिया जाता है। न्यूनतम 78 दिनों का अंशदान भुगतान/देय होना चाहिए।
- **मातृत्व हितलाभ:** प्रसूति के मामले में 26 सप्ताह तक का भुगतान। गर्भपात के मामले में 6 सप्ताह तक। गर्भावस्था के दौरान होने वाली बीमारी के मामले में चिकित्सा सलाह पर 1 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। दो पूर्ववर्ती अंशदान अवधियों में 70 दिनों के अंशदान का भुगतान दिया/देय होना चाहिए।
- **अपंगता हितलाभ:** बीमित कर्मचारी को चोट लगने पर अपंगता लाभ दिया जाता है। अस्थायी अपंगता एवं पूर्ण स्थायी अपंगता की स्थिति में औसत दैनिक वेतन 90 प्रतिशत की दर से तथा स्थायी आंशिक अपंगता की स्थिति में लाभ अर्जित करने की क्षमता में हुई हानि के अनुपात में दिया जाता है।
- **आश्रित हितलाभ:** रोजगार की चोट के कारण बीमित व्यक्ति की मृत्यु पर; औसत दैनिक मजदूरी के 90 प्रतिशत की दर से दिया जाने वाला भुगतान आश्रितों के बीच निश्चित अनुपात में बांटा जाता है। यह लाभ बीमित व्यक्ति की विधवा को आजीवन या पुनर्विवाह तक, 25 वर्ष की आयु पूरी होने तक बेटे के लिए तथा बेटी की शादी होने तक दिया जाता है।
- **व्यावसायिक पुनर्वास भत्ता:** अक्षमता का मतलब कौशल का पूर्ण नुकसान नहीं है। या रोजगार में चोट के कारण विकलांगता के मामले में प्रतिदिन 123/– रुपये या वास्तविक शुल्क का भुगतान का भुगतान किया जाता है
- **पुनर्वास भत्ता:** रोजगार के दौरान चोट लगने का मतलब दैनिक आजीविका का नुकसान नहीं है। रोजगार की चोट के कारण शारीरिक अक्षमता के मामले में जब तक व्यक्ति कृत्रिम अंग के प्रत्यारोपण / मरम्मत या प्रतिस्थापन के लिए कृत्रिम अंग केंद्र में भर्ती होता है, औसत दैनिक मजदूरी का 100 प्रतिशत की दर से देय होता है।

अन्य लाभ

- **प्रसूति व्यय:** 7500/– रुपये प्रति प्रसूति जहां ईएसआई चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
- **अंत्येष्टि व्यय:** मृतक बीमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए वास्तविक खर्च अधिकतम 15,000 रुपये नकद के अधीन है

लाभों, अंशदायी शर्तें, लाभों की अवधि और लाभ दर का का संक्षिप्त विवरण

लाभ	अंशदान स्थिति	अवधि	दर
बीमारी हितलाभ			
बीमारी हितलाभ	इसी अंशदान अवधि में 78 दिनों के लिए अंशदान का भुगतान।	लगातार दो लाभ अवधि में 91 दिनों तक।	औसत दैनिक वेतन का 70 प्रतिशत
वर्धित बीमारी हितलाभ	उपरोक्त की तरह	ट्यूबेक्टोमी के लिए 14 दिन और पुरुष नसबंदी के लिए 7 दिन, चिकित्सकीय सलाह पर बढ़ाई जा सकती है	औसत वेतन का 100 प्रतिशत
विस्तारित बीमारी हितलाभ	34 निर्दिष्ट दीर्घकालिक रोगों के लिए, लगातार चार योगदान अवधियों में न्यूनतम 156 दिनों के योगदान के साथ दो साल के लिए निरंतर बीमा योग्य रोजगार।	दो वर्ष की अवधि के दौरान 124 दिन। चिकित्सकीय सलाह पर इसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है।	औसत दैनिक वेतन का 80 प्रतिशत